



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-237

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 279033 दिनांक 22/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल | ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना | योजना का नाम | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज |
|---------|-------------------------------------|---|---------------|------------------|---|--|-------------------------------|---|
| 1 | Saras Bai Meena W/o Ram Dayal Meena | श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा | 52 | 195.25 SQ. YARD | Cooperative | SHIV RAM COLONY (LAXMI NAGAR GNSS) Sector/Block- | Name Transfer | लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवराम कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 52 क्षेत्रफल 195.25 व.ग. की लीज डीड दिनांक 08.03.2002 को श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेज अनुसार श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा की मृत्यु दिनांक 11.09.2020, श्रीमती सपना पुत्री श्री राकेश कुमार शर्मा व स्व. श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा, श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा व स्व. श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा एवं श्री कोमल पुत्र श्री राकेश कुमार |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

शर्मा व स्व.
श्रीमती चन्द्रकान्ता
शर्मा द्वारा श्री
राकेश कुमार शर्मा
पुत्र स्व. श्री प्रभु
लाल शर्मा के पक्ष
में रजिस्टर्ड हक
त्याग पत्र दिनांक
24.04.2022 को
निष्पादित किया
गया। श्री राकेश
कुमार शर्मा पुत्र
स्व. श्री प्रभु
दयाल द्वारा
श्रीमती सरस बाई
मीना पत्नी श्री
राम दयाल मीना
को जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
04.01.2023 के
द्वारा विक्रय
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Saras Bai Meena W/o Ram Dayal Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |